ई–मेल

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110001

संख्या 437 /आ0लि0–2023, दिनांक 10. मार्च, 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 06/2022, प्रभाकर राय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, देवरिया को नवीन पक्ष के रूप में आबद्ध करते हुए अगली सुनवाई तिथि दिनांक 14.03.2023 से पूर्व उत्तर दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त O.A. No. 06/2022, प्रभाकर राय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :–

"In view of these facts and circumstances, we consider impleading of the State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the District Magistrate, Deoria to be essential as their presence is also neccssary for just and proper adjudication of the question involved in the present case. Accordingly, they are ordered to be impleaded as respondents no. 6 and 7. The Registry is directed to make appropriate amendments in the Memo of Parties.

Notices be issued to the newly impleaded respondents no. 6 and 7 requiring them to file their replies, specifically mentioning as to whether the Primary Health Center and Community Toilets have been abandoned or are to be renovated for use in future, **within ten days** by email on judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 14.03.2023."

3– मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में स्थल का निरीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया व प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 05.03.2023 को किया गया। उपरोक्त परिसर का निरीक्षण स्वयं अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक 10.03.2023 को मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ किया गया।

उक्त निरीक्षण उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया की संलग्न आख्या पत्रांक जाँच/2022–23/11591, दिनांक 06, मार्च, 2023 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इंगित स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Health Sub Center) वर्तमान में अत्यन्त जर्जर एवं ध्वस्तप्राय अवस्था (Dilapidated) में है, परन्तु इसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा परित्यक्त (abandoned) घोषित नहीं

कराया गया है। उक्त केन्द्र पर एक ANM (Auxiliary Nurse and Midwife) तथा एक C.H.O. (Community Health Officer) की तैनाती भी है, जिनके द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बैठकर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान नहीं की जाती हैं, बल्कि वहीं से स्वास्थ्य उपकेन्द्र के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन कराते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को निकटवर्ती ग्रामीणों को पहुंचाया जा रहा है। यह भी सादर अवगत कराना है कि उक्त परिसर में ही आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त कक्ष भी निर्माणाधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

4– उपरोक्त उपकेन्द्र (Sub Center) परिसर के अन्दर ही स्थित सामुदायिक शौचालय के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण वर्ष 2020–21 में ग्राम पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग मद से कराया गया है तथा वर्तमान में उक्त सामुदायिक शौचालय पूरी तरह प्रयोग योग्य है।

अतः उपरोक्त के क्रम में माननीय अधिकरण को सादर अवगत कराना है कि उपरिसन्दर्भित स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Health Sub Center) वर्तमान में परित्यक्त (abandoned) नहीं है और स्वास्थ्य विभाग उपरोक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र परिसर को भविष्य में और उपयोग में लाने हेतु प्रयासरत है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

10.03.2023

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
देवरिया।

संख्या /आ0लि0–2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त प्रकरण में प्राप्त मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया की आख्या दिनांक 06.03.2023 की छायाप्रति सहित उपरोक्त तथ्य से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

2– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93/81–7–2023, दिनांक 09, मार्च, 2023 के क्रम में संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देवरिया।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
देवरिया।

पत्रांक – जॉच/2022–23/11591 दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय – राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–06/2022, प्रभाकर राय व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या – कैम्प/1743/वाद/न्याया/2023 दिनांक 04.03.2023, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या – 06/2022, प्रभाकर राय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिकायत स्थल के निकट स्थापित स्वास्थ्य उपकेन्द्र पहाड़पुर ब्लाक बैतालपुर, देवरिया का स्थलीय निरीक्षण किया गया। वर्तमान समय में भी उक्त क्षेत्र में एक ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 की तैनाती है, जिसके द्वारा उपकेन्द्र क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था में है। परिसर में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्यदायी संस्था यू0पी0 सी0एण्ड डी0एस0–14 द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी स्वीकृत लागत 5.85 लाख रू0 है। निर्माण की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि एक महिने में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण ग्राम सभा द्वारा कराया गया है, जो कियाशील अवस्था में है।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया

OSD
आ/से
06.03.2023